भारत संघ बनाम केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण और अन्य (न्यायधीश दर्शन सिंह)

माननीय न्यायमूर्ति एम. जेयापाऊ और दर्शन सिंह के समक्ष

भारत संघ-याचिकाकर्ता

बनाम

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण और अन्य-

उत्तरदाता

2015 का सीडब्ल्यूपी नंबर 16510

12 अगस्त 2015

भारत का संविधान, 1950—अनुच्छेद 226, 227—विवाहित पुत्र अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र है या नहीं - अधिकारियों द्वारा उसकी नियुक्ति को अस्वीकार कर दिया गया लेकिन केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ ने उनकी नियुक्ति की अनुमति दी- आश्रित परिवार के सदस्य पर योजना लागू है और विवाहित या अविवाहित के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है- केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ के आदेश में कोई अवैधता नहीं- पिता की मृत्यु के बाद प्रतिवादी के ने शादी कर ली।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि, उपरोक्त स्पष्टीकरण के अनुसार, विवाहित पुत्र को भी अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है यदि वह योजना की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करता है। एफएओएस दिनांक 30.5.2013 और दिनांक 25.2.2015 केवल विभाग द्वारा प्रशासनिक पक्ष पर दिए गए स्पष्टीकरण हैं। ये स्पष्टीकरण अनुकंपा नियुक्ति के लिए मूल योजना दिनांक 9.10.1998 के संशोधन के दायरे में नहीं आते हैं। मूल योजना में "पुत्र (दत्तक पुत्र सहित)" "आश्रित परिवार सदस्य" की श्रेणी में आता है। योजना में, यह कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि केवल "अविवाहित पुत्र" ही "आश्रित परिवार सदस्य" की श्रेणी में आएगा और "विवाहित पुत्र" को बाहर रखा जाएगा। इसलिए, योजना में विवाहित या अविवाहित बेटे का कोई वर्गीकरण नहीं है। बाद के स्पष्टीकरण मूल योजना में संशोधन के समान नहीं हैं।

(पैरा 7)

आगे कहा गया कि हमें केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ बेंच, चंडीगढ़ द्वारा पारित दिनांक 9.4.2014 के आदेश में कोई अवैधता नहीं मिली।

(पैरा 10)

याचिकाकर्ता की ओर से बर्जेश मित्तल, अधिवक्ता

न्यायाधीश दर्शन सिंह

(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत वर्तमान सिविल रिट याचिका दिनांक 9.4.2015 के आदेश को रद्द करने के लिए सर्टिओरारी, परमादेश या किसी अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश की प्रकृति में रिट जारी करने के लिए दायर की गई है। (अनुबंध पी-6) केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ बेंच, चंडीगढ़ द्वारा ओए संख्या 060/00395/2014 में पारित किया गया।

(2) प्रतिवादी नंबर 2 संदीप सिंह के पिता स्वर्गीय हाकम सिंह याचिकाकर्ता नंबर 2 के कार्यालय में वरिष्ठ लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत थे। दुर्भाग्यवश 17.9.2012 को उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद, प्रतिवादी नंबर 2 की मां ने याचिकाकर्ता नंबर 2 के कार्यालय में अपने बेटे, प्रतिवादी नंबर 2 की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन दिनांक 4.1.2013 (अनुलग्नक ए 1) के माध्यम से आवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 2 के मामले पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किया गया लेकिन प्रतिवादी संख्या 2 की स्थिति विवाहित पुत्र की थी। नतीजतन, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 30.5.2013 के ओएम के माध्यम से जारी स्पष्टीकरण के मद्देनजर, प्रतिवादी संख्या 2 के मामले को विभागीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित नहीं किया गया था और इसकी अस्वीकृति आदेश दिनांक 7.1.2014 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 को बता दी गई थी। उन्होंने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ बेंच चंडीगढ़ के समक्ष मूल आवेदन संख्या 060/00395/2014 पेश किया, जिसे दिनांक 9.4.2014 के आदेश के तहत अनुमति दी गई थी। वर्तमान याचिकाकर्ताओं को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्रतिवादी नंबर 2 के दावे पर विचार करने का निर्देश दिया गया था, उस तारीख को उसके विवाहित होने के पहलू को नजरअंदाज करते हुए जब ऐसी नियुक्ति के लिए आवेदन दायर किया गया था।

(3) उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।

(4) श्री. बरजेश मित्तल, याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि प्रतिवादी नंबर 2 के पिता हाकम सिंह की मृत्यु की तारीख पर जो नीति लागू थी, वह उनकी दलीलों का समर्थन करने के लिए लागू होगी, उन्होंने कृष्णा कुमारी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य[1] मामले पर भरोसा किया। उन्होंने तर्क दिया कि यह तथ्य विवादित नहीं है कि प्रतिवादी नंबर 2 की शादी 5.10.2012 को हुई थी। इस प्रकार, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन दाखिल करने की तिथि पर वह मृतक का विवाहित पुत्र था। उन्होंने तर्क दिया कि डीओपीटी द्वारा दिनांक 30.05.2013 के ओएम के माध्यम से जारी स्पष्टीकरण के अनुसार, विवाहित बेटे को सरकारी कर्मचारी पर आश्रित नहीं माना जाता था और वह अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का हकदार नहीं था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि 25.2.2015 के बाद का स्पष्टीकरण केवल संभावित रूप से लागू था क्योंकि उसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि यह स्पष्टीकरण इस एफएक्यू के जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा। 25 फरवरी, 2015 और 30 मई, 2013 के एफएक्यूएस के संबंध में पहले से ही निपटाए गए अनुकंपा आधार के मामले को दोबारा नहीं खोला जा सकता है। इस प्रकार, उन्होंने दलील दी कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ बेंच चंडीगढ़ द्वारा पारित आदेश अवैध है और रद्द किये जाने योग्य है।

[1] 2012 (2) एससीटी 736 (एफबी)

(5) हमने उपरोक्त तर्कों पर विधिवत विचार किया है लेकिन हमें उसमें कोई तथ्य नहीं मिला। (अनुबंध ए 6)भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) द्वारा दिनांक 9.10.1998 के ज्ञापन द्वारा जारी अनुकंपा नियुक्ति की योजना है। यह तथ्य विवादित नहीं है कि अनुकंपा नियुक्ति की यह योजना प्रतिवादी क्रमांक 2 के पिता हाकम सिंह की मृत्यु की तिथि पर लागू थी। यह योजना मृतक के "आश्रित परिवार के सदस्य" पर लागू थी। योजना के नोट-I में "आश्रित परिवार सदस्य" को परिभाषित किया गया है जो इस प्रकार है:-

“नोट I "आश्रित परिवार सदस्य" का अर्थ है

(ए) जीवनसाथी; या

(बी) पुत्र (दत्तक पुत्र सहित); या

(सी) बेटी (दत्तक बेटी सहित); या

(डी) अविवाहित के मामले में बहन का भाई जीवनसाथी; या

इस पैरा के (ए) या (बी) में निर्दिष्ट सरकारी कर्मचारी या सशस्त्र बलों का सदस्य, जो चिकित्सा आधार पर अपनी मृत्यु या सेवानिवृत्ति के समय सरकारी कर्मचारी/सशस्त्र बलों के सदस्य पर पूरी तरह से निर्भर था, के रूप में मामला हो सकता है।"

(6) इस नोट के अनुसार, पुत्र (दत्तक पुत्र सहित) "आश्रित परिवार के सदस्य" की परिभाषा में आता है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अनुकंपा नियुक्ति पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) के संबंध में दिनांक 30.5.2013 को स्पष्टीकरण जारी किया था। प्रश्न संख्या 13 इस प्रकार है:-

13	क्या 'विवाहित पुत्र' को अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है?	नहीं, एक विवाहित पुत्र को सरकारी कर्मचारी पर निर्भर नहीं माना जाता है।

इसमें कोई विवाद नहीं है कि बाद में डीओपीएंडटी का नंबर 14014/02/2012-एस्ट (डी) दिनांक 25 फरवरी, 2015 के माध्यम से आगे स्पष्टीकरण जारी किया गया था, जो इस प्रकार है: -

क्रम संख्या	प्रश्न	जवाब
60	क्या 'विवाहित पुत्र' को अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है?	हां, यदि वह अन्यथा योजना की अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है यानी वह अन्यथा पात्र है और इस विभाग के ओ.एम. में निर्धारित

		मानदंडों को पूरा करता है। दिनांक 16 जनवरी, 2013। यह इस FAW के जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा। 25 फरवरी, 2015 और अनुकंपा नियुक्ति के मामले पहले ही निपटाये जा चुके हैं। 30 मई, 2013 के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न दोबारा नहीं खोले जा सकते। 30 मई, 2013 के एफएक्यू के क्रम संख्या 13 को इस सीमा तक संशोधित माना जा सकता है।

(7) सपष्टीकरण के अनुसार, विवाहित पुत्र भी कर सकता है यदि वह अन्यथा योजना की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करता है तो अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा। एफएओएस दिनांक 30.5.2013 दिनांक 25.2.2015 केवल विभाग द्वारा प्रशासनिक पक्ष पर दिए गए स्पष्टीकरण हैं। ये स्पष्टीकरण अनुकंपा नियुक्ति के लिए मूल योजना दिनांक 9.10.1998 के संशोधन के दायरे में नहीं आते हैं। मूल योजना में "पुत्र (दत्तक पुत्र सहित)" "आश्रित परिवार सदस्य" की श्रेणी में आता है। योजना में, यह कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि केवल "अविवाहित पुत्र" ही "आश्रित परिवार सदस्य" की श्रेणी में आएगा और "विवाहित पुत्र" को बाहर रखा जाएगा। इसलिए, योजना में विवाहित या अविवाहित बेटे का कोई वर्गीकरण नहीं है। बाद के स्पष्टीकरण मूल योजना में संशोधन के समान नहीं हैं।

(8) केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने सतगुर सिंह बनाम पंजाब राज्य[2] मामले पर सही भरोसा किया है। उस मामले में भी, "आश्रित परिवार के सदस्यों" को परिभाषित करने वाला एक समान नोट था। नोट I में, इकलौते बेटे का उल्लेख किया गया था और इस न्यायालय ने माना कि विवाहित बेटा भी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा, बशर्ते वह अन्य आवश्यकताओं को पूरा करता हो। कृष्णा कुमारी बनाम हरियाणा राज्य (सुप्रा) मामले पर याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने भरोसा किया पूरी तरह से अलग स्तर पर है क्योंकि उस मामले में, विचार का प्रश्न यह था कि क्या कर्मचारी की मृत्यु की तारीख पर लागू नीति लागू होगी या आवेदन पर विचार की तारीख पर लागू नीति लागू होगी। लेकिन मौजूदा मामले में, याचिकाकर्ता का मामला यह नहीं है कि प्रतिवादी नंबर 2 के पिता की

[2] 2013 (3) एससीटी 629

मृत्यु की तारीख पर कुछ अलग योजना लागू थी। यह ऐसा मामला है जहां विभाग द्वारा एक ही नीति पर केवल अलग-अलग स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं जो मूल योजना दिनांक 9.10.1998 में किसी भी संशोधन के बराबर नहीं है।

(9) इस प्रकार, हमें केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ बेंच, चंडीगढ़ द्वारा पारित दिनांक 9.4.2014 के आदेश में कोई अवैधता नहीं मिलती है।

(10) इस फैसले से अलग होने से पहले, यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि याचिका के पैरा नंबर 2 के अनुसार याचिकाकर्ताओं के स्वीकृत मामले के अनुसार, प्रतिवादी नंबर 2 के पिता हाकम सिंह की मृत्यु 17 सितंबर को हो चुकी है। 2012 और प्रतिवादी नंबर 2 की शादी 5.10.2012 को हुई थी जिसका मतलब है कि उसने अपने पिता की मृत्यु के बाद शादी की है। इस प्रकार, मृत्यु की तिथि पर, वह अविवाहित था।

(11) इस प्रकार, हमारी उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान याचिका में कोई योग्यता नहीं है और इसे खारिज कर दिया गया है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

स्मृति

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

कुरूक्षेत्र, हरियाणा